सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन

अल्पसंख्याक विकास विभाग

मंत्रालय, मुंबई – ४०० ०३२.

डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना

.....अल जामीया फकीहतुल बनात (ट्रस्ट)..... संचालित

..१..जमीअतुल फकीहात..२..जमीया साबरीया, मालाड, मुंबई... हे मदरसे

"डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना" या महाराष्ट्र शासनाच्या

अभिनव योजनेच्या प्रथम वर्षासाठी (सन २०१४-२०१५) रुपये ..४,७०,०००/-..

.....(रुपये चार लाख सत्तर हजार फक्त).....

अनुदानाचा लाभार्थी ठरल्याबद्दल आपले हार्दीक अभिनंदन

अपर मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन

Dr. Zakir Hussian Madrasa

कार्यालय,आयकर निदेशक (छूट)

छठी मंजिल,पीरामल चैम्बर्स,लालबाग मुंबई ४०००१२.

आदेश संख्या.:आ.नि.(छू)/मु.न./८०-जी/39/2007/2007-08

निर्धारिती का नाम ओर पता	:	AL-JAMIA FAQUIHAT-UL-BANAAT GAYASUDDIN COMPOUND, BEHIND JAMA MASJID, GATE NO. 7, MALWANI (WEST), MUMBAI 400 095.
12A रजिस्ट्रेशन सं.	:	TR/39725 DATED 30/11/2005
आवेदन की तारीख	:	03/04/2007
स्था.ले.सं	:	AAB TA 5968 L
आदेश की तारीख	:	29/11/2007

आयकर अधिनियम की धारा ८०-जी के अन्तर्गत प्रमाणपत्र (03/04/2007 से 31/03/2010 तक वैध)

(प्रारंभिक /नवीकरण)

मेरे समक्ष प्रस्तुत किए गए तथ्यों के अवलोकन /आवेदक के मामले की सुनवाई के पश्चात् मैं इस निर्णय पर पहुँचा हूँ कि राशा संस्था ने आयकर अधिनयम की धारा ८०-जी के अन्तर्गत उपधारा (५)के की शर्तों को पूरा किया है. निम्नांकित किसी शर्त की अवज्ञा दुरूपयोग कमी या उल्लंघन की स्थिति में कानून के अनुसार ये सुविधाएँ दाता संस्थान द्वारा जब्त कर ली जायेंगी. संस्था को ८०-जी की यह छूट निम्न शर्तों पर दी जाती है

I) संस्था अपनी लेखा पुस्तकें नियमित रूप से बनाए रखेगी और उनका परीक्षण आयकर अधिनियम की धारा ८०-जी (5) (iv) के अधीन - धारा १२ए (बी) - के अनुपालन के साथ करवायेगी.

ii) दानदाताओं की दी जाने वाली रसीद पर इस आदेश की संख्या एवं दिनांक अंकित की जायेगी और उस पर यह स्पष्ट रूप से छपवाया जायेगा कि यह प्रमाणपत्र कब तक वैध है.

iii) न्यास /संस्था के विलेख (deed)में परिवर्तन कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप ही किया जायेगा और इसकी सूचना इस कार्यालय को तत्काल दी जायेगी.

IV) यदि संस्था धारा ८०-जी के प्रावधानों के अन्तर्गत धारा १२(ए),धारा १२एए(१)(बी)के अन्तर्गत पंजीकृत है अथवा संस्था ने धारा १०(२३),१०(२३सी)-(vi)(vi-ए) के अंतर्गत मंजूरी प्राप्त कर ली है तो धारा ८०-जी(५)(i)(ए)के अधीन किसी व्यवसायिक गतिविधि चलाने के लिए संस्था को अलग से लेखा पुस्तकें रखनी होंगी,साथ ही ऐसी गतिविधि शुरू होने की तारीख के एक माह के भीतर उसकी सूचना इस कार्यालय को देनी होगी. .

V) धारा ८०-जी के प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त दानराशि का किसी व्यवसाय हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग नहीं किया जायेगा

vi) संस्था दानदाता को प्रमाणपत्र जारी करते समय ऊपर वर्णित प्रतिबद्धता का आदर करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि प्रमाणपत्र का दुरूपयोग या अन्य किसी प्रयोजन के लिए उपयोग न हो.

vii) संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि किसी गैर न्यासी प्रयोजन के लिए न्यास या सोसायटी या गैर-लाभ--कंपनी द्वारा इसका उपयोग नहीं किया जाएगा और न ही इसके उपयोग की
कोशिश की जाएगी.

viii) संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी सूरत में संस्था या उसकी निधि का उपयोग धारा ८०-जी (५)(iii) के अधीन निषिद्ध किसी विशेष धर्म या जाति या समुदाय के लाभ के लिए नहीं किया जायेगा.

Ix) संस्था को न्यास या सोसायटी या गैर-लाभ--कंपनी के प्रबंधक न्यासी या प्रबंधक के बारे में बताए औरबताए गए ब्योरों को पूरा करने के लिए न्यास या संस्था के क्रिया कलाप कहाँ किए जा रहे हैं या किए जाने की संभावना है इसकी सूचना इस कार्यालय एवं निर्धारण अधिकारी को देनी होगी.

x) यदि नवीकरण के लिए कार्यालय से संपर्क नहीं किया गया हो तो आस्तियों का प्रयोग किस प्रकार किया जायेगा या किन उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जायेगा इस संबंध में इस कार्यालय को तुरंत सूचित किया जायेगा.

xi) धार्मिक व्यय कुल आय के ५% से अधिक नहीं होगा,आयकर अधिनियम १९६१,की धारा ८० जी के अन्तर्गत प्रमाणपत्र न्यास या संस्था की आय को अपने ऊपर छूट नहीं देता.

(वी.के.सिंह)
आयकर निदेशक (छूट),मुंबई.

(मनुलाल बैठा)
आयकर अधिकारी (तकनीकी),
कृते आयकर निदेशक(छूट),मुंबई

प्रतिलिपि - १.) आवेदक २).गार्ड फाईल

80 G Certificate

[विशेष/ध.आ./मु.सा.वि./२ म.

सत्यमेव जयते

नोंदणीचे प्रमाणपत्र

याद्वारे प्रमाणपत्र देण्यात येते की, खाली वर्णन केलेली सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था ही आज, मुंबई सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम, १९५० (सन १९५० चा मुंबई अधिनियम क्रमांक २९) या अन्वये बृहन्मुंबई विभाग, मुंबई येथील सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था नोंदणी कार्यालयात योग्य रीतीने नोंदण्यात आलेली आहे.

सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्थेचे नाव "अल- जामिया - फकिहात-उल बन्नात."

सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्थांच्या नोंदणी पुस्तकातील क्रमांक ई- 20954 (मुंबई)

श्री. मोहम्मद रफिक दाऊद हलाई यांस प्रमाणपत्र दिले.

आज दिनांक 22/4/2002 रोजी माझ्या सहीनिशी दिले.

शिक्का CHARITY COMMISSIONER GREATER BOMBAY REGION MAHARASHTRA STATE

सही 22/4/02

पदनाम सहायक धर्मादाय आयुक्त
बृहन्मुंबई विभाग, मुंबई

Maharashtra Government Certificate

1790

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार)

National Commission For Minority Educational Institutions

(Ministry of Human Resource Development, Government of India)

गेट नं० ४, प्रथम तल, जीवन तारा भवन, ५, संसद मार्ग
पटेल चौक, नई दिल्ली– ११० ००१
Gate No. 4, 1st Floor, Jeevan Tara Building, 5, Sansad Marg
Patel Chowk, New Delhi - 110 001

Dated.....

C E R T I F I C A T E

THIS IS TO CERTIFY THAT BY THE ORDER DATED 3rd DAY OF MAY, 2017 PASSED BY THE NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS, NEW DELHI IN CASE NO. 1307 OF 2016 (JAMIATUL FAQIHAT MADRASSA (GIRLS), BEHIND JAMA MASJID, GATE NO. 7, MALWANI MALAD (W), MUMBAI, MAHARASHTRA-400095 VS. PRINCIPAL SECRETARY, MINORITIES DEVELOPMENT DEPARTMENT, GOVT. OF MAHARASHTRA), JAMIATUL FAQIHAT MADRASSA (GIRLS) RUN BY THE AL-JAMIA FAQUIHAT-UL-BANAAT (NGO DARPAN UNIQUE ID:MH/2017/0151902) HAS BEEN DECLARED AS A MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTION COVERED UNDER SECTION 2(G) OF THE NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS ACT, 2004.

GIVEN UNDER MY HAND AND THE SEAL OF THE COMMISSION ON THIS 22nd DAY OF MAY, 2017.

National Commission For Minority Educational Institutions * Delhi *

(MADHU RANJAN KUMAR)
SECRETARY

Minority Certificate